सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश,

मेरठ।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि कल दिनांक 17-07-2024 वास्ते सेशन हाउस पर टूटे आवंले के पेड़ की नीलामी हेतु नियत थी। परन्तु दिनांक 17-07-2024 को मुहर्रम पर्व होने के कारण न्यायालय में अवकाश था जिस कारण कल नीलामी की कार्यवाही सम्पन्न नही करायी जा सकी।

अतः माननीय महोदय यदि उचित समझे तो उक्त प्रकिया हेतु दिनांक 12-08-2024 नियत की जा सकती है।

आख्या माननीय महोदय की सेवा में सादर उचित आदेशार्थ प्रेषित है।

(ब्रजेश मणि त्रिपाठी)
सदस्य, नीलाम समिति/
अपर जिला न्यायाधीश,
न्यायालय सं0–09, मेरठ।

(अचल नारायण सकलानी)
सदस्य, नीलाम समिति/
विशेष न्यायाधीश,
(एस0सी0/एस0टी0
एक्ट), मेरठ

(चन्द प्रकाश तिवारी-प्रथम)
अध्यक्ष, नीलाम समिति/
अपर जिला न्यायाधीश,
न्यायालय सं0–01, मेरठ।

आदेश

अवलोकित। अनुमोदित।

जनपद न्यायाधीश,
मेरठ।

नीलामी सूचना

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, मेरठ।

सेशन हाउस पर टूट गये आंवले के पेड़ की नीलामी दिनांक 12-08-2024 को सायं 04:30 बजे चौदह न्यायालय भवन के सभागार कक्ष में की जानी है। जिसकी बोली में भाग लेने वाले व्यक्तियों द्वारा अंकन 500–00 रू0 (अंकन पांच सौ रूपये मात्र) प्रति बोलीदाता की दर से धरोहर धनराशि कैशियर, सिविल कोर्ट, मेरठ के पास नगद जमा दिनांक 12-08-2024 को समय 11:00 बजे तक करनी होगी अथवा बैंक ड्राफ्ट के रूप में भी धरोहर धनराशि जमा की जा सकती है जो माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को देय होगा।

प्रथम तीन उच्च बोलीदाताओं को छोड़कर शेष की धरोहर धनराशि उसी दिन वापस कर दी जायेगी। बोली को स्वीकार अथवा अस्वीकार किये जाने सम्बन्धी अन्तिम निर्णय जिला न्यायाधीश, मेरठ का होगा। नीलामी को बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकता है। बोली जिस व्यक्ति के पक्ष में छोड़ी जायेगी उसे वन विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क भी अदा करना होगा। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा यथा समय कोई अन्य शुल्क अथवा कर जो भी देय होगा केता को अदा करना होगा। जिस व्यक्ति के पक्ष में बोली छोड़ी जायेगी उसे बकाया धनराशि उसी दिन यानि दिनांक 12-08-2024 को ही नजारत अनुभाग में जमा करानी होगी। नीलामी की सभी शर्तें नजारत अनुभाग में किसी भी कार्य दिवस में केन्द्रीय नाजिर के पास देखी जा सकती है।

(ब्रजेश मणि त्रिपाठी) सदस्य, नीलाम समिति/ अपर जिला न्यायाधीश, न्यायालय सं0–09, मेरठ।	(अचल नारायण सकलानी) सदस्य, नीलाम समिति/ विशेष न्यायाधीश, (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट),मेरठ	(चन्द प्रकाश तिवारी–प्रथम) अध्यक्ष, नीलाम समिति/ अपर जिला न्यायाधीश, न्यायालय सं0–01, मेरठ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु

1. नोटिस बोर्ड जनपद न्यायाधीश महोदय, मेरठ
2. नोटिस बोर्ड जिलाधिकारी, मेरठ
3. नोटिस बोर्ड आयुक्त मेरठ मण्डल, मेरठ
4. नोटिस बोर्ड मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ
5. नोटिस बोर्ड प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ
6. समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु
7. कम्प्यूटर विभाग को माननीय उच्च न्यायालय की बेवसाईट तथा जनपद न्यायालय, मेरठ की बेवसाईट पर अपलोड कराये जाने हेतु